मेसर्स एसयूवीएआरएनए कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

वी.

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1535)

09 दिसंबर, 2021

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस। 482 और 319-आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना-आयोजितः सिर्फ इसलिए कि कुछ

अन्य व्यक्ति जिन्होंने अपराध किए हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था और जिन पर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था, वे अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकते हैं, जिनके खिलाफ पूरी तरह से जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया है-मुकदमे के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अपराध करने वाले अन्य अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, तो अदालत उन व्यक्तियों को उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। s.319 सीआरपीसी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः निजी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश

अभियुक्त नं. 2 और पी. सी. आर. में 3, आरोप पत्र केवल आरोपी नं. 1 . उपरोक्त अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसके बाद जाँच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। गहन जाँच। केवल इसलिए कि कुछ अन्य व्यक्ति जिन्होंने अपराध किए होंगे, लेकिन उन्हें अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था और जिन पर आरोप पत्र नहीं लगाया गया था, वे आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकते हैं, जिसके खिलाफ पूरी तरह से जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया है। मुकदमे के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अपराध करने वाले अन्य अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप पत्र नहीं है, तो न्यायालय उन व्यक्तियों को धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

[2021] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष और/या निजी प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों पर आगे टिप्पणी की गई-मूल अभियुक्त सं। 1 . इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए पारित विवादित निर्णय और आदेश नं। 2- मूल अभियुक्त नं. 1 रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के योग्य है। [पैरा 4,4.1 और 4.2] [391-डी-एफ; 392-सी-एफ]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का No.1535। 2013 की आपराधिक याचिका No.5763 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.07.2014 के निर्णय और आदेश से।

अमित शर्मा, ए. कार्तिक, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एच. वी. नागराज राव, हेमंत कुमार सागर, ई. सी. विद्या सागर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.07.2014 के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

2013 की आपराधिक याचिका No.5763 में पारित किया गया जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने निजी प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

इसमें आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 408,409,420 और 149 के तहत अपराधों के लिए मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. इसमें निजी प्रतिवादी और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी। शिकायतकर्ता-बैंक ने धारा 200 Cr.P.C के तहत अदालत में शिकायत दर्ज कराई। मुखिया।

महानगर दंडाधिकारी, बैंगलोर 2009 का पी. सी. आर. 15250 (पुनः 2012 के सीसी 22308 के रूप में क्रमांकित)। इसके बाद चिकपेट पुलिस थाने में धाराओं के तहत एक प्राथमिकी (2010 का अपराध संख्या 127) दर्ज की गई।

120 बी, आई. पी. सी. की धारा 408,409,420 और 149। कि जाँच पूरी होने पर इसमें निजी प्रतिवादी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। द.

इसमें निजी प्रतिवादी-मूल अभियुक्त सं। 1 धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए 2013 की आपराधिक याचिका No.5763 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

2.1 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने निजी प्रतिवादी-मूल मेसर्स एसयूवीएआरएनए कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

V. कर्नाटक राज्य और ANDR। [एम. आर. शाह, जे.]

अभियुक्त नं. 1 मुख्य रूप से इस आधार पर कि मूल अभियुक्त संख्या की अनुपस्थिति में। 2 और पी. सी. आर. में 3 और निकासी बैंक के अधिकारियों की अनुपस्थिति में क्लियरिंग हाउस नियमों में निर्धारित समय के भीतर चेक में से एक के अपमान के संदर्भ में प्राप्तकर्ता के बैंकर को सूचित करते हुए, कहा जा सकता है कि उन्होंने आई. पी. सी. की धारा 408 और 409 के तहत अपराध किए हैं, केवल आरोपी नं. 1 . इस प्रकार का अवलोकन करते हुए उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्त नं. 1 .

2.2 आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

मूल अभियुक्त नं. 1 , मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. हमने श्री अमित कुमार, विद्वान वकील को पेश होते सुना है।

अपीलार्थी के लिए और श्री एच. वी. नागराज राव, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

4. हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क पर विचार और विचार किया है।

मूल अभियुक्त नं. 7 और 8 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए पैराग्राफ 7 और 8 में उल्लिखित न्यायालय। 1. मूल अभियुक्त नं. के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करने के बाद। 1 , हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश जिसमें निजी प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है-मूल अभियुक्त नं। 1 कानून और तथ्यों दोनों में अस्थिर है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि निकासी बैंक के अधिकारियों की अनुपस्थिति में क्लियरिंग हाउस नियमों में निर्धारित समय के भीतर किसी एक चेक के अपमान के संबंध में प्राप्तकर्ता के बैंकर को सूचित किया जाता है, जो आई. पी. सी. की धारा 408 और 409 के तहत अपराध है। अभियुक्त नं. 2 और पी. सी. आर. में 3, आरोप पत्र केवल आरोपी नं. 1 . आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" 8. शिकायतकर्ता द्वारा कुछ भी न लेने के कारण

अधूरे आरोप पत्र के खिलाफ कार्रवाई, जो पहले प्रतिवादी पुलिस द्वारा केवल आरोपी संख्या को आरोपित करने में दायर की जाती है। 1 और 6 को CC.No.22308/2012 में अभियुक्त के रूप में, दो के खिलाफ अभियोजन

अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति के बिना, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास [2021] 9 एस. सी. आर. हैं।

उसी में शामिल, पूर्ण आरोप पत्र नहीं होगा और उनमें से दो के खिलाफ कथित अपराध तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि उक्त कार्य के सहयोगी को भी आरोपी के रूप में पेश नहीं किया जाता। मामले के उस दृष्टिकोण में, इस न्यायालय को लगता है कि

अभियुक्तों पर मुकदमा चलाना सं। 1 और तत्काल मामले में 6, अभियुक्त 2 और 3 की अनुपस्थिति में, कोई लाभ नहीं होगा और इस मामले को तार्किक अंत तक नहीं ले जाएगा। इसलिए, एक ही होना आवश्यक है रद्द कर दिया "।

गहन जाँच के बाद जाँच अधिकारी। केवल इसलिए कि कुछ अन्य व्यक्ति जिन्होंने अपराध किए होंगे, लेकिन नहीं थे अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया और आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया, आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसे पूरी तरह से जांच के बाद आरोप पत्र में शामिल किया गया है। विचारण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अन्य

अपराध करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप पत्र नहीं लगाया जाता है, न्यायालय उन व्यक्तियों को धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभियुक्त बना सकता है।

हो सकता है कि अपराध किए गए हों-आरोप पत्र नहीं हैं, आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है-जांच के बाद उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मिलने के बाद आरोप पत्र। उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष और/या निजी प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों पर आगे कुछ भी नहीं देखा गया है-मूल अभियुक्त सं। 1 .

4.2 इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए पारित विवादित निर्णय और आदेश नं। 2 इसमें-मूल अभियुक्त सं। 1 रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के योग्य है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए वर्तमान

अपील सफल होती है। निजी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश उत्तरदाता नं। 2 - मूल अभियुक्त नं. 1 2009 के पी. सी. आर. 15250 में दायर निजी शिकायत के अनुसार शुरू किया गया जो विद्वान अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष दायर की गई थी। बैंगलोर के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिन्हें बाद में चिकपेट पुलिस स्टेशन की फाइल पर 2010 की एफ़. आई. आर. No.127 के रूप में दर्ज किया गया था और इस तरह 2012 की सी. सी. No.22308 के रूप में दर्ज किया गया था, को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।

मेसर्स एसयूवीएआरएनए कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। V. कर्नाटक राज्य और ANDR। [एम. आर. शाह, जे.]

अब, विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करने और दरकिनार करने पर, प्रतिवादी नं। 2 इसमें-मूल अभियुक्त सं। 1 आगे बढ़ें।

उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था और वे मुकदमे का सामना करेंगे जिन पर कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस